पत्रांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-02/2020/......03(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।

पटना, दिनांक 06.04.2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित राशि **कुल ₹1,13,63,000.00 (एक करोड़ तेरह लाख तिरेसठ हजार रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के **प्रभारी प्राचार्य होंगे**, जो राशि की निकासी **संबंधित जिला कोषागार** से करेंगें।

4. **सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है।**

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan 2020-21\Letter2020-21.docx

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय--समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी अगले माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश तथा विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--02/2020 के पृष्ठ संख्या 4/टि० पर दिनांक 6.4.2020 को प्राप्त है।

13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16--2515000030001 है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

6.4.2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--02/2020/03 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 06.04.2020
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

6.4.2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय--01--02/2020/03 (आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 06.04.2020
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

6.4.2020
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\Estb & Commt Exp\Prakshian Sansthan 2020-21\Letter2020-21.docx

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2020–21 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत" मद में राशि का आवंटन विवरणी।

(राशि रूपये में)

क्र०	संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन					योग
			वेतन 0001.01.01	जी० या० भत्ता 0001.01.03	मकान भत्ता 0001.01.04	प० भत्ता 0001.01.05	चि० भत्ता 0001.01.06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, पटना	प्रभारी प्राचार्य, पटना	700000.00	180000.000	60000.000	30000.000	12000.000	**982000.00**
2	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, गया	प्रभारी प्राचार्य, गया	1050000.00	270000.000	90000.000	45000.000	12000.000	**1467000.00**
3	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, सारण	प्रभारी प्राचार्य, सारण	1050000.00	270000.000	90000.000	45000.000	12000.000	**1467000.00**
4	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रभारी प्राचार्य, मुजफ्फरपुर	700000.00	180000.000	60000.000	30000.000	12000.000	**982000.00**
5	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर	प्रभारी प्राचार्य, भागलपुर	700000.00	180000.000	60000.000	30000.000	12000.000	**982000.00**
6	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा	प्रभारी प्राचार्य, दरभंगा	700000.00	180000.000	60000.000	30000.000	12000.000	**982000.00**
7	मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा	प्रभारी प्राचार्य, सहरसा	700000.00	180000.000	60000.000	30000.000	12000.000	**982000.00**
8	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, पूर्णिया	प्रभारी प्राचार्य, पूर्णिया	1050000.00	270000.000	90000.000	45000.000	12000.000	**1467000.00**
9	जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर	प्रभारी प्राचार्य, मुंगेर	1500000.00	360000.000	120000.000	60000.000	12000.000	**2052000.00**
	कुल योग		**8150000.00**	**2070000.00**	**690000.00**	**345000.00**	**108000.00**	**11363000.00**

(एक करोड़ तेरह लाख तिरेसठ हजार रूपये) मात्र की राशि

06/09/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी